न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./41/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
किस्तुरी पुत्री अणदाराम पत्नी गेनाराम फौत के का. मु.– 1. रेखाराम पुत्र गेनाराम (माता किस्तुरी) 2. कुम्भाराम पुत्र गेनाराम (माता किस्तुरी) 3. खेमाराम पुत्र गेनाराम (माता किस्तुरी) 4. भूराराम पुत्र गेनाराम (माता किस्तुरी), जाति जाट, निवासी गोगाजी का मंदिर शहर तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।	1. रूपाराम पुत्र खेराजराम(तथाकथित पुत्र अणदाराम) उम्र 68 वर्ष, जाति जाट, निवासी जायडू हाल निवासी गोगाजी का मंदिर शहर तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा। 2. भगवानाराम पुत्र तुलछाराम 3. हनुमानराम पुत्र तुलछाराम 4. मगाराम पुत्र तुलछाराम 5. पेम्पो पत्नी तुलछारा, जाति जाट निवासी चौरालिया शहर, तह. गिड़ा, जिला बालोतरा 6. अचलाराम पुत्र चुनाराम 7. इमियों पत्नी चुनाराम 8. जेठाराम पुत्र मूलाराम 9. तेजाराम पुत्र चुनाराम 10. देवाराम पुत्र तुलछाराम 5. बालाराम पुत्र चुनाराम, जाति जाट, निवासी गोगाजी का मंदिर शहर तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा। 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिड़ा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 199/2024 बउनवान किस्तुरी के का. मु. वगैरह बनाम रूपाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश कुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 10 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 25.08.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स (वादीगण) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का भी प्रस्तुत किया था, जो राजस्व आवेदन संख्या 199/2024 है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 09.07.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विप्रार्थीगण (रेस्पोंडेन्ट्स) को आगामी पेशी तक पांबद किया कि वे मौजा चौरालिया पटवार हल्का शहर, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 137 रकबा 34.8272 खसरा संख्या 351/311 रकबा 8.9435 हेक्टेयर व मौजा गोगाजी का मंदिर, पटवार हल्का गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 371/120 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खसरा सख्या 375/120 रकबा 0.1457 हेक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 0.0567 हेक्टेयर, खसरा संख्या 370/120 रकबा 13.8159 हेक्टेयर, खसरा संख्या 372/120 रकबा 10.3154 हेक्टेयर, खसरा संख्या 379/118 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली दिनांक 30.07.2024 को विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत की गई थी। जिस पर प्रार्थीगण 1, 3, 8 व 10 के द्वारा जबाव पेश किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 24.02.2024 को प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 09.07.2024 को मूल आवेदन सहित खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों एवं स्वयं द्वारा पेश लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स (वादीगण) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का भी प्रस्तुत किया था, जो राजस्व आवेदन संख्या 199/2024 है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 09.07.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट्स) को आगामी पेशी तक पांबद किया कि वे मौजा चौरालिया पटवार हल्का शहर, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 137 रकबा 34.8272 खसरा संख्या 351/311 रकबा 8.9435 हेक्टेयर व मौजा गोगाजी का मंदिर, पटवार हल्का गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 371/120 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खसरा सख्या 375/120 रकबा 0.1457 हेक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 0.0567 हेक्टेयर, खसरा संख्या 370/120 रकबा 13.8159 हेक्टेयर, खसरा संख्या 372/120 रकबा 10.3154 हेक्टेयर, खसरा संख्या 379/118 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली दिनांक 30.07.2024 को विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत की गई थी। जिस पर प्रार्थीगण 1, 3, 8 व 10 के द्वारा जबाव पेश किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 24.02.2024 को प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 09.07.2024 को मूल आवेदन सहित खारिज कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पों. संख्या 02 लगायत 5 की पैतृक व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहदायिकी सम्पत्ति के रूप में उनके मुतवफी अणदा, उगरा पिसरान गोकला से प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेंट के समय से वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता अणदा व उसके भाई उगरा पिसरान गोकला के कब्जे–काश्त की होने से अणदा, उगरा पिसरान गोकला के नाम पर्चा लगान जारी हुआ, जिसमें अपीलांट के पिता अणदा का 1/2 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारों का था अपीलांट के पिता अणदा के कोई जांयदा पुत्र नहीं था अणदा की एक मात्र जायंदा पुत्री अपीलांट (स्व. कस्तुरी) ही थी अपीलांट की माता का देहान्त अपीलांट व रेस्पों. के पिता अणदा से पूर्व ही हो चुका था। अपीलांट के पिता अणदा के फौत होने के बाद वादग्रस्त आराजी के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 86 पारित किया गया जो नामान्तरकरण रेस्पों. संख्या 1 रूपा ने स्वयं को अणदा का पुत्र बताते हुये मृतक अणदा की फौतगी का नामान्तरकंरण स्वयं के नाम से पारित करवा दिया। जबकि रेस्पों. संख्या 1 रूपा को अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में कभी गोद नहीं लिया और ना ही कोई स्वतंत्र सहमति से कोई गोदनामा रेस्पों. संख्या 1 के नाम से निष्पादित किया। अपीलांट के पिता अणदा की गोत्र (जाट– कड़वासरा) व रेस्पों. संख्या 1 रूपा की गोत्र (जाट–राव) भी भिन्न–भिन्न है। जिस कारण से स्पष्ट है कि रेस्पों. संख्या 1 अणदा का जांयदा पुत्र या गोद पुत्र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट (स्व. कस्तुरी) ही अणदा की एकमात्र जायंदा पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के कारण अपीलांट के पिता का फौतगी नामान्तरकरण अकेली अपीलांट के पक्ष में ही राजस्व रेकार्ड के रूप में पारित किया जाना आवश्यक था। किन्तु अपीलांट अनपढ़ एवं महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पों. संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया और अपीलांट को अपने विधिक हक से वंचित रख दिया गया। जबकि रेस्पों. संख्या 1 रूपा के पिता का नाम खेराजराम है जो जायडू गांव का मूल निवासी है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम. की धारा 6 व 8 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अपीलांट स्व. अणदा की पैतृक सम्पत्ति में केवल मात्र विधिक अधिकार अपीलांट (स्व. कस्तुरी) का हक–हिस्सा निहित था और अपीलांट (स्व. कस्तुरी) ही स्व. अणदा की एक मात्र विधिक वारिस है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा–काश्त निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वर्तमान में विधि विरूद्ध रूप से पारित नामान्तरकरण के कारण से रेस्पों. संख्या 1 के अकेले के नाम अणदा के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया है। उक्त राजस्व रेकार्ड का गलत फायदा उठाते हुए रेस्पों. संख्या 1 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जबकि वास्तविक रूप से रेस्पों. संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर कोई विधिक आधार नहीं बनता है। रेस्पों. संख्या 1 अपीलांट के नाम से राजस्व रेकार्ड नहीं होने से अपीलांट के कब्जा–काश्त में दखलअंदाजी करते हुए किसी अजनबी क्रेता के हस्तगत आराजी का बेचान करते हुए अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहा तो अपीलांट अपने खातेदारी हकूकों से हमेशा के लिये महरूम होना पड़ सकता है। जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। उक्त कारणों से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक और राजस्व आवेदन भी दिनांक 24.03.2023 को पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व रेकार्ड

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के आवेदन पत्र में रेस्पों. संख्या 10 देवाराम द्वारा मूल वाद में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया गया उसके वाद गांव के मौजीज लोगों द्वारा अपीलांट के परिवार व रेस्पों. संख्या 1 के बीच आपसी राजीनामा करवाकर जरिये विक्रय पत्र से अपीलांट के परिवार को भूमि देना तय हुआ तथा अस्थाई स्थगन आवेदन को जरिये विड्रो कर विक्रय पत्र के पंजीवद्ध होने के वाद मूल वाद को विड्रो करने की बात तय हुई जिस पर अपीलांट के वारिसान द्वारा उक्त राजस्व आवेदन संख्या 136/2023 को दिनांक 24.06.2024 को जरिये विड्रो खारिज किया गया। जिसके अनुसार दूसरे दिन तहसील कार्यालय में अपीलांट के परिवार के सदस्यों के नाम से विक्रय पत्र लिखवाकर तैयार किया गया लेकिन रेस्पों. संख्या 1 को 10 ने बहला फुसलाकर अपने नाम से उक्त वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री करवाकर उसी दिन नामान्तरकरण पारित करवा दिया। उसके वाद रेस्पों. संख्या 10 द्वारा अपीलांट के कब्जे–काश्त में राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने की धमकियां देते हुए अपीलांट को उसके कब्जे–काश्त से वेदखल करने पर आमादा हुए तो अपीलांट ने श्रीमानजी के अज अदालत में हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अज अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन को न्यायहित में स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 03.04.2025 को हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखने का आदेश आगामी पेशी तक किया गया था जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त के संवंध में हस्तगत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट(कन्फर्म) किया जाना न्यायोचित होगा क्योंकि वाद पत्र में किसी प्रकार की पेचिदगियां नहीं बढें और पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने की वजह से वाद विवाद नहीं बढे। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में जायंदा पुत्री होने के दस्तावेज एवं निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये–

1. RRT 2003(1)Page No.- 373
2. RRT 2009(1)Page No.- 141
3. RRT 2008(2)Page No.- 1330
4. RRT 2006(2)Page No.- 1101.

वकील रेस्पोडेंट संख्या 10 की और से बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। उतरदातागण रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश, वकील उभयपक्ष को सुनने के बाद ही जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट (स्व. कस्तुरी) स्व. अणदा की जायंदा पुत्री नहीं है। और ना ही उक्त के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अणदा की सेवा रूपाराम के द्वारा की गई थी। अणदा के कोई जायंदा औलाद नहीं होने के कारण से अणदा के द्वारा रेस्पों. संख्या 1 को गोद लिया गया था। अणदा के समस्त कार्य रूपाराम के द्वारा ही जायंदा पुत्र के रूप में ही किये गये। तथा राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत के द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही नामान्तरकरण संख्या 86 पारित किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर वाद एवं हस्तगत आवेदन पेश किया गया है

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जबकि अणदा के कोई जायंदा पुत्री किरतुरी नाम की थी ही नहीं। पुत्री नहीं होने से हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई हक–हिस्सा निहित नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर किरतुरी नामक महिला का कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अपीलांट के वारिस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत आवेदन विड्रो करने के बाद रेस्पों. संख्या 10 के पास आये और उनसे कहा कि हमारा राजीनामा हो गया है आप रूपाराम से आराजी का क्रय कर लो एवं हमे रोकड़ रूपयों का भुगतान कर दो। आपको भूमि की आवश्यकता है और हमें रूपयों की। उक्तानुसार अपीलांट के वारिसों के कथनों पर विश्वास करते हुए रेस्पों. संख्या 10 द्वारा भूमि का रेस्पों. संख्या 1 से क्रय करते हुए अपीलांट को रोकड़ रूपयों का लेन–देन कर लिया जा चुका है। जिसके बाद रेस्पों. संख्या 10 के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसके बाद अपीलांट की नियत में खोट आने के बाद हस्तगत आवेदन पेश किया जो श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन है। हस्तगत आवेदन केवल मात्र रेस्पों. संख्या 10 को परेशान करने की नियत से लगाया गया है। रेस्पो. संख्या 10 अपने आवश्यकतानुसार ऋण एवं आराजी का हस्तातंरण बैचान नहीं कर सके उक्त मकसद में सफल होने की नियति से हस्तगत आवेदन पेश किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वर्तमान में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त रेस्पो. का लगातार चला आ रहा है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. RRT 2014(2) Page No-1301
2. DNJ(Rev.) 2023(1) Page No-601
3. DNJ(Rev.) 2023(2) Page No-1426
4. DNJ(Rev.) 2024(2) Page No-1324
5. SB CIVI MIS APPEAL (HC)Page No-807/2024

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखिल बहस का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान गहनता से अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के समक्ष विचाराधीन है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। यद्यपि रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है परन्तु बाबत् खातेदारी घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान वादग्रस्त आराजी का हस्तातंरण व खुर्द–बुर्द करने के डर से एवं वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 199/2024 बउनवान किस्तुरी के का. मु. वगैरह बनाम रूपाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाता है तथा मौजा चौरालिया पटवार हल्का शहर, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 137 रकबा 34.8272 खसरा संख्या 351/311 रकबा 8.9435 हेक्टेयर व मौजा गोगाजी का मंदिर, पटवार हल्का गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 371/120 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खसरा संख्या 375/120 रकबा 0.1457 हेक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 0.0567 हेक्टेयर, खसरा संख्या 370/120 रकबा 13.8159 हेक्टेयर, खसरा संख्या 372/120 रकबा 10.3154 हेक्टेयर, खसरा संख्या 379/118 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तातंरण नहीं करने हेतु उत्तरदातागण को पाबंद किया जाता है। उक्तानुसार अंज अदालत के आदेश दिनांक 03.04.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

25/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर